न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

जमाबंदी रद्द वाद संख्या--51 / 2017–18

राज्य बनाम विरंची चौधरी वगैरह

(Under Section 9 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
01/10/18	**आदेश**	

इस वाद की कार्यवाही भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के पत्रांक–653 दिनांक–24.08.2017 से प्राप्त जमाबंदी रद्द वाद सं0 124 / 2016–17 के आधार पर आरम्भ की गयी थी।

भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज द्वारा निम्न जमाबंदियों को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

क्रं0 सं0	मौजा / थाना सं0	रैयत का नाम / पिता का नाम	खाता	रकवा	जमाबंदी सं0	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	चंडोस / 280	विंरची चौधरी, पिता रामधनी चौधरी	721	0.12	608	गैरमजरूआ मालिक
2		पार्वती देवी, पति दरभंगी मिस्त्री		0.13	665	
3		नरेन्द्र कुमार सिंह, पिता राम लगन सिंह		0.22	135	
4		रामसुमिरन सिंह बद्री महतो		0.16	146	
5		रामजतन यादव, पिता जगनारायण यादव		0.2	1217	
6		गायत्री देवी, पति स्व0 महेन्द्र सिंह		0.5	268	
7		लहासो देवी, पति स्व0 रूपन यादव		0.4	87(क)	
8		रामानंद सिन्हा, पिता वेशलाल सिन्हा		0.15	1276	
9		विनय कुमार सिन्हा वो विश्वमोहन सिन्हा, पिता स्व0 रामनंदन सिन्हा		0.24	1277	
10		नरेन्द्र कुमार, पिता भिमराज सिंह		0.14	1377	
11		धर्मेन्द्र कुमार, पिता भिमराज सिंह		0.8	1316	
12		उपेन्द्र कुमार, पिता भिमराज सिंह		0.8	1318	गैरमजरूआ मालिक
13		नरेन्द्र कुमार, पिता भिमराज सिंह		0.8	1319	
14		मिणा देवी, पति विजेन्द्र कुमार		0.5	1320	
15		रमेश प्रसाद, पिता राम लखन सिंह		0.12	361	
16		रामप्रित महतो, पिता राम जतन महतो	1319	0.13	18	आम
17		राजेन्द्र सिंह, पिता रामसंगन सिंह	721	0.4	1372	मालिक
18		विनय कुमार सिंह, विश्वमोहन सिंह, पिता रामनन्द सिंह	721	0.18	52	
19		रामप्रवेश सिंह, पिता चन्दीप यादव		0.105	1402	गैरमजरूआ मालिक
20		नवलाख सिंह, पिता चन्द्रदीप यादव		0.105	1403	
21		रामचन्द्र सिंह, पिता चन्द्रदीप यादव		0.105	1404	
22		अहमद हुसैन, पिता जमूल हक	721	0.25	129	
23		सुदर्शन सिंह, पिता देव लगन सिंह	721, 1319	8+6= 14	1023	आम+ मालिक

24		सर्वजीत सिंह, पिता देव लगन सिंह	721, 1319	8+6= 14	1024	
25		रामजित सिंह, पिता देव लगन सिंह	721, 1319	8+6= 14	1025	
26		चन्दमल सिंह, पिता शिवलाल सिंह	721, 1319	8+6= 14	1026	
27		मुन्नी लाल चौधरी, पिता अनिरूध चौधरी	721	0.12	1036	मालिक
28		रामवचन यादव, पिता परीखन यादव		0.15	448	गैरमजरूआ मालिक
29		मानिक साव वगैरह, पिता रघुवर साव		0.25	492(क)	

खतियान के अनुसार प्रश्नगत भूमि की विवरण :-

मौजा चंढोस, थाना नं0 280

खाता	खेसरा	रकवा (एकड़)	किस्म
1	2	3	4
721	**3699**	**5.26**	**गैरमजरूआ मालिक**
1319	**3795**	**7.88**	**गैरमजरूआ आम**

भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के द्वारा अभिलेख में अंकित किया गया है कि –

"कुल 29 जमाबंदीधारक में से सुदर्शन सिंह वो सर्वजीत सिंह वो रामजीत सिंह, पे0–शिवलखन सिंह एवं मुन्नी लाल चौधरी विपक्षीगण उपस्थित हुए जिनका दावा सादा हुकुमनामा एवं कर्मचारी के सहयोग मात्र से अवैध जमाबंदी सृजन कर राजस्व रसीद निर्गत किया गया के आधार पर दावा करते है जो बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा–5, 6, 7 के अनुसार लगान निर्धारण नहीं हुआ है। जमींदारी उन्मूलन के पश्चात गैरमजरूआ मालिक भूमि बिहार सरकार में Right, Title & Interest निहित हो गया एवं गैरमजरूआ आम सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। खाता–721 एवं 1319 गैरमजरूआ आम से संबंधित प्लॉटों पर सूचनोपरान्त कोई भी दावा पर्चा आदि के आधार पर नहीं किया गया है। प्रश्नगत भूमि परती एवं टॉड़ के रूप में आज भी अवस्थित है। इसलिए अबैध जमाबंदी धारक के सादा हुकुमनामा एवं बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के आधार सृजित उक्त सभी जमाबंदियाँ बिहार दाखिल खारिज अधिनियम–2011 एवं अधिनियम–2012 की धारा–13 के अंतर्गत सार्वजनिक एवं सरकारी हित के मद्देनजर रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।"

इस न्यायालय में वाद की प्रविष्टी के पश्चात जमाबंदियों को सामान्य एवं निबंधित नोटिस निर्गत की गयी। विपक्षी सं0 7, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 एवं 27 की तरफ से वकालतनामा दायर कर अपना पक्ष रखा गया। अनुपस्थित विपक्षियों के लिए दिनांक 01.03.2018 के हिन्दुस्तान समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित किये जाने के बाद भी वे उपस्थित नहीं हुए।

श्री रमेश प्रसाद (विपक्षी सं0 15) के द्वारा इस आशय का आवेदन दिया गया कि अंचलाधिकारी, पालीगंज के द्वारा खाता सं0 721 के 12डी0 के लिए कायम उनकी जमाबंदी रद्दीकरण का प्रस्ताव भेजा गया है। उक्त 12डी0 किसे खेसरा से संबंधित है, यह स्पष्ट नहीं है।

इस संबंध में अंचलाधिकारी, पालीगंज से प्रतिवेदन की मांग की गयी।

अंचलाधिकारी, पालीगंज के पत्रांक–460 दिनांक–11.06.2018 के द्वारा विरंची चौधरी (विपक्षी सं0–1) की जमाबंदी सं0 609 का विवरण निम्नानुसार भेजा गया।

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा	किस्म
1	2	3	4	5	6
चन्ढ़ोस	280	721	3516	12डी0	गैरमजरूआ मालिक

अंचलाधिकारी, पालीगंज से पुनः रमेश प्रसाद (विपक्षी सं0–15) के संबंध में प्रतिवेदन की मांग किये जाने पर उनके पत्रांक 638 दिनांक–16.08.2018 से रमेश प्रसाद सिंह के पिता राम लखन सिंह के नाम से कायम जमाबंदी सं0 361 के संबंध में निम्नानुसार विवरण भेजा गया।

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा	किस्म
1	2	3	4	5	6
चन्ढ़ोस	280	721	3525	12डी0	गैरमजरूआ मालिक

जमाबंदी रद्दीकरण का प्रस्ताव खाता सं0–721 खेसरा सं0–3699 (गैरमजरूआ मालिक) एवं खाता सं0 1319 खेसरा सं0 3795 (गैरमजरूआ आम) के लिए भेजा गया था। अंचलाधिकारी, पालीगंज के पत्रांक 460 दिनांक 11.06.2018 एवं पत्रांक 638 दिनांक 16.08.2018 से जो प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, उसमें क्रमशः खेसरा सं0 3516 एवं 3525 की बात कही जा रही है। पूर्व के भेजे गये प्रस्ताव में विरंची चौधरी एवं रमेश प्रसाद की जमाबंदी खेसरा सं0 3699 में रहने की बात कही गयी है।

स्पष्ट है कि जमाबंदी रद्दीकरण हेतु भेजा गया प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण है। बिना समुचित जांच के यह प्रस्ताव भेजा गया है, जिस पर किसी प्रकार का निर्णय दिया जाना विधि सम्मत नहीं होगा।

अतः भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज को आदेश दिया जाता है कि वे एक–एक जमाबंदी की जांच करें। जो जमाबंदी बिना सक्षम आधार के अवैध रूप से कायम हो, उसके रद्दीकरण का विधिवत प्रस्ताव अपनी अनुशंसा के साथ भेजें। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना